

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 जुलाई 2021—आषाढ़ 17, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021

क्र. एफ ए-3-85-2017-1-पाँच-(43).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इस अधिसूचना में इस के पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-85-2017-1-पाँच(07), दिनांक 8 फरवरी 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के,—

- (i) आठवें परंतुक में, तालिका के स्थान पर, मई 2021 के 20वें दिन से प्रभावी निम्नलिखित तालिका को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“तालिका

क्र. सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	कर अवधि	सीमा जिसके लिये विलंब फीस अधित्यक्त किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो.	मार्च 2021, अप्रैल 2021 और मई 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले पंद्रह दिन तक.
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं.	मार्च 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले साठ दिन तक.

(1)	(2)	(3)	(4)
		अप्रैल 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले पैंतालीस दिन तक.
		मई 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले तीस दिन तक.
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं.	जनवरी-मार्च 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले साठ दिन तक.”

(ii) आठवें परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“परंतु यह भी की उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिन्होंने नियत तारीख तक माह/तिमाही जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत देय विलंब फीस रुपये पांच सौ से अधिक अधित्यजन किया जाता है:

परंतु यह भी की यदि उक्त विवरणी में संदेय राज्य कर की राशि शून्य है तो उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत देय विलंब फीस रुपये दो सौ पचास से अधिक को उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यजन किया जाता है जिन्होंने नियत तारीख तक माह/त्रैमास जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते हैं:

परंतु यह भी की उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किये गए हैं, और जो नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत जून 2021 की कर अवधि से या जून 2021 को खतम तिमाही की कर अवधि से, जैसा भी मामला हो, देय विलंब फीस, जो की निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट किये गए रकम से अधिक है, अधित्यजन किया जाता है, अर्थात्:—

तालिका

क्र. सं. (1)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)	रकम (3)
1	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनकी उक्त विवरणी में संदेय राज्य कर की राशि शून्य है	रुपये दो सौ पचास
2	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो, क्र. सं. (1) के अंतर्गत आने वालों के अलावा.	रुपये एक हजार
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ से अधिक हो और 5 करोड़ से कम हो, क्र. सं. (1) के अंतर्गत आने वालों के अलावा.	रुपये दो हजार पांच सौ”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021

क्र. एफ ए-3-85-2017-1-पांच (43).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-85-2017-1-पांच (43), दिनांक 8 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 8th July 2021

No. F A-3-85-2017-1-V (43).—In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F A-3-85-2017-1-V(07), dated 8th February 2019, namely:—

In the said notification,—

- (i) In the eighth proviso, with effect from the 20th Day of May, 2021, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:—

"TABLE

S. No.. (1)	Class of registered perons (2)	Tax period (3)	Period for which late fee waived (4)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year.	March, 2021, April, 2021 and May, 2021.	Fifteen days from the due date of furnishing return.
2.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (1) of Section 39.	March, 2021 April, 2021 May, 2021	Sixty days from the due date of furnishing return. Forty-five days from the due date of furnishing return. Thirty days from the due date of furnishing return.
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of Section 39.	January-March, 2021	Sixty days from the due date of furnishing return.”;

- (ii) after the eighth proviso, the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided also that for the registered persons who failed to furnish the return in FORM GSTR-3B for the months/quarter of July, 2017 to April, 2021, by the due date but furnish the said return between the period from the 1st day of June, 2021 to the 31st day of August, 2021, the total amount of late fee under Section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of five hundred rupees:

Provided also that where the total amount of State tax payable in the said return is nil, the total amount of late fee under Section 47 of the said Act shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees for the registered persons who failed to furnish the return in FORM GSTR-3B for the months/quarter of July, 2017 to April, 2021, by the due date but furnish the said return between the period from the 1st day of June, 2021 to the 31st day of August, 2021:

Provided also that the total amount of late fee payable under Section 47 of the said Act for the tax period June, 2021 onwards or quarter ending June, 2021 onwards, as the case may be, shall stand waived which is in excess of an amount as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the returns in FORM GSTR-3B by the due date, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Amount (3)
1.	Registered persons whose total amount of state tax payable in the said return is nil	Two hundred and fifty rupees.
2.	Registered persons having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year, other than those covered under S. No. 1.	One thousand rupees
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees 5 crores in the preceding financial year, other than those covered under S. No. 1.	Two thousand and five hundred rupees”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.